



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938

No. 237]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2016 है।
(2) ये 16 नवम्बर, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 16 के, उप-पैरा (4) में, खंड (क) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(कक) मासिक अनाथ पेंशन प्रत्येक अनाथ को ऐसे अनाथ द्वारा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक संदेय होगी।

परंतु मासिक अनाथ पेंशन, किसी अनाथ को पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी देय होगी यदि ऐसा अनाथ चित्त के विकार या निःशक्तता से पीड़ित है अथवा जो शारीरिक रूप से अंपंग या निश्क्त है।”

[सं. आर-15025/4/2012-एसएस-2]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 526(अ) तारीख 2 जुलाई, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2016

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of November, 1995.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 16, in sub-paragraph (4), after the proviso to clause (a), the following shall be inserted, namely:-

“(aa) The monthly orphan pension shall be payable to each orphan till such orphan attains the age of twenty-five years:

Provided that the monthly orphan pension shall be payable to an orphan beyond the age of twenty-five years, if such orphan is suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled.”.

[No. R-15025/4/2012.SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note.- The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R.526 (E) dated the 2nd July, 2015.